न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 82/2018

प्रविष्टि दिनांक – 18.07.2018

उनवान

1. प्रेमदेवी पत्नि स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
2. विष्णुप्रसाद पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
3. नवलकिशोर पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
4. गणेशनारायण पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
5. बालमुकन्द पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
6. राजकंवर पत्नि गंगाधर जाति ब्राहम्ण निवासी कुम्हारों का मोहल्ला ग्राम इसरदा जिला सवाई माधोपुर
7. गायत्री पत्नि राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कुम्हारों का मोहल्ला ग्राम इसरदा जिला सवाई माधोपुर
8. सावित्री पत्नि दामोदर जाति ब्राहम्ण निवासी कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानी शंकर पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
2. रमेश पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
3. सुरेश पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साडागांव तहसील व जिला टोंक
4. तहसीलदार साहब टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री शाहाब अहमद – अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री भरतसिंह नरूका – अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दावा बाबत– स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 2/02/2021.

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नं0 72 व 733 व 732 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम साडागांव पटवार हल्का हरचन्देडा तहसील व जिला टोंक (राज0) खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर 732 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकीन चाह से अपनी आराजीयात को पानी पिलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के पति, पुत्र व पुत्रियान स्व0 मूलचन्द के देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के मालिक व काबिज है। अप्रार्थीगण की नियत में फर्क आने के कारण प्रार्थीगण की भूमि में व्यवधान करते है और गैरमुमकीन चाह से फसल को पानी पिलाने नहीं देते है ओर लडने मारने पर आमादा रहते है, फसल को नुकसान पहुंचाते है, जानवर छोड देते है। अतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं, जरिये एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदार, ठेकेदार या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 72 व 733 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी तरह से मजाहमत, मदाखलत नही करे व बाधा उत्पन्न नहीं करें, अपने जानवर नहीं छोडे, पेडों को नहीं काटे व खसरा नम्बर 732 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकीन चाह जो कानूनन अधिकार प्राप्त है उसकी पिलाई में किसी तरह का व्यवहार पैदा नहीं करें। प्रार्थीगण की भूमि में उराई व फसल के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, फसल को नकसान नहीं पहुंचाये और पाबन्द रहे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम साडागांव आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1 ता 3 ने जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियां पेश की जिसके अनुसार मुताबिक हाल जमावन्दी खसरा संख्या 72 में प्रतिपक्षी सं. 1 का हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 733 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

4/5 व खसरा नम्बर 732 में हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में पूर्ण हक व हिस्सा नहीं है। सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड काबिज है ओर उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 732 गैर मुमकीन चाह शामलाती खातेदारी कुए की नाल है जिसकी गहराई व मरम्मत का कार्य प्रार्थीगा के पिता, पति के जीवनकाल में लगभग 5–7 वर्ष पूर्व करवाई गई थी, जिसमें होने वाले खर्च में से प्रार्थीगण के पिता पति के हिस्से में लगभग 60,000/– रूपये आये थे, जिसको प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या–1 ता 3 को अदा नहीं किये गये तथा प्रार्थीगण ने विपक्षीगण सं. 1 ता 3 को अदा नहीं किये गये तथा प्रार्थीगण के पिता पति व विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य यह मौखिक करार हुआ था कि जब तक वह विपक्षीगण 1 ता 3 को कुए की मरम्मत में होने वाले खर्च अदा नहीं करेगें तब तक वह उसका उपयोग एंव उपभोग नहीं करेगें। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण के दिल में बेईमानी आ गई तथा बकाया रकम हडपने की नियत से गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि में खातेदारी एंव हिस्सा होने से प्रार्थीगण मीन प्रतिपक्षीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किऐ जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने जरिये वकील प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त जवाब का जवाबुलजवाब पेश किया जिसकी विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा अपनी विशेष आपत्तियों में जो हिस्सा दर्शाया है वह पूर्णतया गलत है, क्योंकि उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण अभी भी काबिज है और काश्त करते आ रहे है विपक्षीगण ने फर्जी आधार पर रिकार्ड में कोई तब्दीली कर ली हो तो प्रार्थीगण उससे पाबन्द नहीं है। क्योकि उक्त भूमि का अब तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। कुए की मरम्मत में आने वाले खर्चे की राशि अप्रार्थीगण के पति व पिता ने अदा किये है। प्रार्थीगण के पिता पति ने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है। फिर भी प्रार्थीगण ने उसे निरस्त करने का दावा सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया है। अतः जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के साथ–साथ प्रार्थीगण भी खातेदार काबिज काश्तकार है। जिसमें उनका भी बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। जिससे उन्हे महरूम नहीं किया जा सकता है। वाग्रस्त भूमि का अभी विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति, पिता का ही नाम अंकित है। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक सुविधा का संतुलन, कब्जे का विवाद एंव अन्य बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थीगण के हक व हिस्से को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रतिपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय होने तक उनके हिस्से में मजाहमत मदाखलत नहीं करने एंव कुए से पानी पिलाने में किसी प्रकार व्यवधान नहीं करने के लिए पाबन्द करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 72 व 733 में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी तरह से मजाहमत, मदाखलत नही करे व खसरा नम्बर 732 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकीन चाह में से उनके हिस्से की भूमि की पिलाई में किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 2.12.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)